सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवेदन

वर्ष 2009-2010

ध्येय : सभी के लिए खाद्य सुरक्षा

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग, राजस्थान

राजस्थान सरकार

प्रगति प्रतिवदेन
वर्ष 2009–10

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग
राजस्थान, जयपुर

–: अनुक्रमणिका :–

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	1
2.	विभाग की स्थापना	1
3.	कार्य संपादन	2
4.	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	3
5.	राशन कार्ड	4
6.	उचित मूल्य दुकानों का आवंटन	5
7.	सतर्कता समितियां	7
8.	विभाग की इस वर्ष की अभिनव कार्य एवं योजनाऐं	9
9.	आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य	12
10.	एपीएल योजना	13
11.	बीपीएल परिवार	14
12.	अन्त्योदय अन्न योजना	14
13.	अन्नपूर्णा योजना	15
14.	राशन टिकिट	16
15.	समर्थन मूल्य के अतंर्गत खरीद	16
16.	चीनी	17
17.	केरोसीन	18
18.	एलपीजी	19
19.	उपभोक्ता सुरक्षा	20
20.	जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु कार्यवाही	20
21.	उपभोक्ता संरक्षण	20
22.	सूचना का अधिकार	25
23.	वास्तविक आय–व्यय एवं संशोधित प्रावधान	26
24.	परिशिष्ठ– 1 से 8	27–48

प्रस्तावना

क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों के इस प्रदेश में अधिकांश भाग रेगिस्तानी और कम वर्षा वाला है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या 564.73 लाख है। इस जनसंख्या में 432.68 लाख ग्रामीण और 132.05 लाख शहरी क्षेत्र की जनसंख्या सम्मिलित है। प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या 25.84 लाख है। इन सभी परिवारों के साथ ही सामान्य परिवारों के लिए भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन राज्य में आरंभ से ही किया जा रहा है।

देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्‌गम 1960 के दशक में हुई खाद्यान्नों की अत्यधिक कमी से कमी वाले शहरी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वितरण करने पर ध्यान केन्द्रित करके हुआ था। इसके बाद हरित क्रांति के अंतर्गत चूंकि राष्ट्रीय कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, इसलिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार 1970 और 1980 के दशकों मे आदिवासी ब्लाकों और अत्यधिक गरीबी वाले क्षेत्रों के लिए किया गया था। वर्ष 1992 तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली विशेष लक्ष्यों के बगैर सभी उपभोक्ताओं के लिए एक सामान्य पात्रता योजना थी। सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1992 में सम्पूर्ण देश में प्रारंभ की गयी थी। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में प्रारंभ की गई थी।

विभाग की स्थापना

सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमी का प्रबंध करने और उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों का वितरण करने के लिए तैयार की गयी थी। पिछले कुछ वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन के लिए सरकार की नीति का महत्वपूर्ण अंग बन गई है। इसके अंतर्गत केन्द्र सरकार ने भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, ढुलाई और बल्क आवंटन करने की जिम्मेदारी ले रखी है। राज्य के अंदर आवंटन, गरीबी रेखा से नीचे के परिवार की पहचान करने, राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य दुकानों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने सहित प्रचलनात्मक जिम्मेदारी खाद्य विभाग की है।

राज्य में वर्ष 1964 तक खाद्य एवं सहायता विभाग एक संयुक्त विभाग के रूप में कार्यरत रहे। वर्ष 1964 से सहायता विभाग से अलग होकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग पृथक से अस्तित्व में आया। वर्ष 1987 से विभाग द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित कार्य भी संपादित किए जा रहे हैं। दिनांक 21 जून 2001 को विभाग का नाम **'खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले'** विभाग किया गया।

विभाग द्वारा राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन करने के साथ ही आवश्यक वस्तुओं की बाजार में उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के क्रियान्वयन संबंधित कार्य भी विभाग द्वारा किये जाते है। प्रमुख रूप से विभाग के कार्य इस प्रकार से हैं –

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन।
- केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत खाद्यान्नों की खरीद।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का प्रवर्तन।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का क्रियान्वयन एवं उपभोक्ता आन्दोलन को गति देने के लिए विभिन्न गतिविधियॉं का क्रियान्वयन।

कार्य संपादन

उपरोक्त उद्धेश्यों की प्राप्ति के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य संपादित किये जाते हैं:–

- भारत सरकार से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण योग्य आवश्यक वस्तुओं का राज्य की मांग के अनुरूप आवंटन प्राप्त करना एवं आवंटित वस्तुओं को उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से निर्धारित दरों पर उपभोक्ताओं को वितरण कराना,
- समर्थन मूल्य नीति के अन्तर्गत खाद्यान्नों यथा– गेंहूँ, जौ, मक्का, बाजरा व धान (पैडी) की कीमत निर्धारित मूल्यों से कम होने पर

किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से क्रय करने में सहयोग करना,

- आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं इसके अन्तर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के प्रवर्तन व कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के आदेश के अन्तर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरूद्ध कार्यवाही करना
- उपभोक्ता हितों के संरक्षण के लिए गठित राज्य आयोग एवं जिला मंचों की प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी कार्य करना।
- उपभोक्ता आंदोलन को गति देने संबंधी कार्य करना।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को नियंत्रित करने और उपभोक्ताओं के लिए खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करने में पर्याप्त रूप से योगदान दिया है। देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बाद वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की गई थी।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रमुख रूप से निम्न उद्धेश्य हैं–

- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना
- आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर रखना।
- कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राज्य में गेहूँ, चावल, चीनी एवं केरोसीन तेल उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित किये जाते हैं। उक्त वस्तुयें निर्धारित मात्रा में निश्चित मूल्य लेकर उपभोक्ताओं को राशन कार्ड के आधार पर दी जाती हैं। भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटित किए जाने के आदेशों के पश्चात राज्य के जिलों हेतु खाद्यान्न नियत अवधि में उठाव व्यवस्था के साथ उप आवंटन जारी किया जाता है। जिलों में जिला कलक्टर्स द्वारा तहसील /पंचायत समिति अनुसार किये गये आवंटन के आधार

पर संबंधित थोक विक्रेता के माध्यम से आवंटित वस्तुएं उचित मूल्य दुकान तक पहुंचाई जाती है। राज्य में वर्तमान (दिसम्बर, 09) में <u>कुल 176 थोक विक्रेता</u> है।

आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए राज्य में कुल 22991 उचित मूल्य की दूकाने स्थापित है, जिनमे से 5298 शहरी क्षेत्र में एवं 17693 दुकाने ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है। राज्य में शहरी क्षेत्र में औसतन 3131 यूनिट पर एक उचित मूल्य की दुकान तथा ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 2868 यूनिट पर एक उचित मूल्य की दुकान कार्यरत हैं। विभाग के आदेश 15.11.2002 द्वारा भारत सरकार के दिशा–निर्देशों के अनुरूप विशेष भौगोलिक परिस्थितियों में 2000 ईकाइयों पर भी उचित मूल्य की दुकान खोली जा सकती है। संभाग एवं जिलेवार उचित मूल्य दुकानों की सूचना **परिशिष्ठ "1"** पर अंकित हैं।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों की पहुँच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है ताकि खाद्य सामग्री की लाभार्थी तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत 2009–10 मे विभिन्न खाद्यान्न योजनाओं मे अप्रेल 09 से दिसम्बर 09 तक आवंटन–उठाव परिशिष्ठ 2 पर स्थित है।

राशन कार्ड–

राज्य में पृथक–पृथक श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिये पृथक–पृथक रंगों के राशन कार्ड दिये जाने की व्यवस्था है।

योजना (परिवार)	राशन कार्ड का रंग	योजना की पात्रता (योग्यता)
1– एपीएल क– डबल गैस सिलेण्डर धारक ख– सिंगल गैस सिलेण्डर धारक	 नीला हरा	 सामान्य उपभोक्ता सामान्य उपभोक्ता
2– बीपीएल	गहरा गुलाबी	ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित बीपीएल परिवार।
3–अन्त्योदय अन्न योजना	पीला	ग्राम सभा/नगर निगम/नगर पालिका द्वारा चयनित अंत्योदय अन्न परिवार

इसी प्रकार राशन कार्डों की श्रेणीवार संख्या निम्नानुसार है:–

- ए.पी.एल. : 122.16 लाख
- बी.पी.एल. : 16.52 लाख
- अन्त्योदय अन्न योजना : 9.32 लाख

उचित मूल्य दुकानों का आवंटन

उचित मूल्य की दुकान आँवटन के लिए रिक्त/उपलब्ध होने पर जिला रसद अधिकारी द्वारा सार्वजनिक विज्ञाप्ति जारी कर अवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के लिए राज्य सरकार के जिला रसद अधिकारी की अध्यक्षता में उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति गठित की हुई है। इस समिति में शहरी/ग्रामीण क्षेत्रो के लिए निम्न प्रकार गठन किया हुआ है।

- **शहरी क्षेत्र हेतु**

समिति में विभागीय अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) के अतिरिक्त नगर निगम/ परिषद/ नगर पालिका का अध्यक्ष/प्रशासक या उसके द्वारा मनोनीत जन प्रतिनिधि/ अधिकारी/ तहसीलदार, तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्त्ता, उपभोक्ता एवं महिला उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति में सम्मिलित हैं।

- **ग्रामीण क्षेत्र हेतु**

समिति मे विभागीय अधिकारी (जिला रसद अधिकारी) के अतिरिक्त सम्बधित ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, तथा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत उसी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, उपभोक्ता, महिला उपभोक्ता उचित मूल्य दुकान आवंटन सलाहकार समिति में सम्मिलित हैं।

आवंटन सलाहकार समिति द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपनी अभिशंषा जिला कलेक्टर को प्रस्तुत की जाती है। आँवटन सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा उचित मूल्य दुकानों के लिए प्राधिकार पत्र जारी किये जाते हैं।

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 17(1) खा.वि/विधि/2008 दिनांक 27.02.2009 के द्वारा आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति /संस्था पर सहमति अथवा पात्रता के बारे में मतभेद होने पर कमेटी द्वारा की गई अभिशंषा को जिला कलक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। जिला कलक्टर ऐसे प्रकरणो को स्वंय के स्तर पर गुणावगुण के आधार पर निर्णित करेगे। आवंटन सलाहकार समिति प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार कर अपने अभिशंषा जिला कलक्टर को प्रस्तुत

करेगी। व्यक्तिगत साक्षात्कार द्वारा आवेदकों के प्रार्थना पत्रो पर विचार के समय निम्न प्राथमिकता क्रम को ध्यान में रखा जायेगा।

1. "महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग या अन्य किसी विभाग के अन्तर्गत राजकीय कार्यक्रमों के संचालन हेतु चयनित अथवा मान्यता प्राप्त हो।"
2. सहकारी समितियां (जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हैं)
3. शिक्षित बेरोजगार
4. अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति
5. महिलायें–विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता दी जावेगी।
6. भूतपूर्व सैनिक अथवा उनकी विधवा।
7. बारां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील क्षेत्रों में 50 प्रतिशत दुकान सहरिया जाति को आवंटित की जावेगी तथा जनजाति उपयोजना क्षेत्र में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को एवं शेष 50 प्रतिशत सामान्य प्रकिया के तहत उचित मूल्य दुकान आवंटित की जावेगी।

- उचित मूल्य दुकानदार की मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रितों को प्राथमिकता क्रम के आधार पर उचित मूल्य दुकान आवंटित किये जाने का प्रावधान है।
- विभागीय आदेश क्रमांक 17(1) खा.वि./विधि/08 दिनांक 06.10.09 के द्वारा उचित मूल्य दुकानो की नियुक्ति में आरक्षण व्यवस्था लागू की गई है। अनुसूचित जाती /अनुसूचित जनजाती एवं अन्य पिछडा वर्ग हेतु क्रमशः 16, 12 एवं 21 प्रतिशत आरक्षण होगा।
- उचित मूल्य की दुकानो की नियुक्ति में निःशक्तजनो के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। निःशक्तजनो के लिए आरक्षण प्रत्येक वर्ग यथा सामान्य, अ.जा.,अ.ज.जा. एवं अन्य पिछडा वर्ग के व्यक्तियो को किये गये आरक्षण हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार ही देय होगा । अर्थात 3 प्रतिशत आरक्षण प्रत्येक वर्ग में निःशक्तजनो की उपलब्धता के आधार पर दिया जायेगा।

- विभागीय परिपत्र क्रमांक एफ 17(11) खा.वि./विधि/09 दिनांक 22.01.2010 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा 2009–2010 के क्रियान्विति हेतु महिला सहकारी समितियो एवं जनजाती क्षेत्रो में लैम्प्स के माध्यम से सहकारिता विभाग द्वारा चिन्हित स्थानो पर उचित मूल्य दुकान आवंटित किये जाने हेतु जारी की गई सूची के अनुसार सामान्य वर्ग के लिए अनारक्षित 51 प्रतिशत कोटे में से उक्त उचित मूल्य दुकान आवंटित की जावेगी। इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान किये जाने का प्रावधान है।

सतर्कता समितियॉ–

वितरण व्यवस्था पर निगरानी हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों का निम्नानुसार गठन किया गया है–

- **जिला स्तरीय निगरानी समिति–**

प्रत्येक जिले में दिनांक 03.09.09 को जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन कर दिया गया है। जिला स्तरीय निगरानी समिति के अध्यक्ष जिला कलक्टर हैं। जिले में पदस्थापित सहकारिता विभाग वरिष्ठतम प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नामित ऐसे तीन गैर सरकारी व्यक्ति जो उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में गहरी रूचि रखते हैं वे सदस्य एवं जिला रसद अधिकारी उक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे।

समिति की माह में कम से कम एक बैठक करनी होगी। आवश्यकतानुसार कमेटी एक माह में एक से अधिक मीटिंग भी आयोजित कर सकती है।

- **जिला स्तरीय सतर्कता समिति–**

जिला स्तरीय सतर्कता समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया हुआ है। जिला स्तरीय सतर्कता समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर है। जिले के समस्त सांसद, विधायक, जिला प्रमुख, जिले के समस्त प्रधान/पंचायत समिति, जिले के समस्त नगर पालिकाओ/ परिषदों/निगमों के अध्यक्ष/प्रशासक, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, उपभोक्ता संगठनों के दो प्रतिनिधि (जिला कलेक्टर द्वारा मनोनीत) सदस्य है तथा जिला रसद अधिकारी समिति के सदस्य सचिव है।

- **तहसील स्तरीय सतर्कता समिति–**

तहसील स्तरीय सतर्कता समिति का गठन किया हुआ है। जिसमें प्रधान पंचायत समिति अध्यक्ष है, उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार उपाध्यक्ष है। शेष स्थानीय निकाय (नगर पालिका) के दो सदस्य, पंचायत समिति के दो सस्दस्य, स्थानीय विधायक, विकास अधिकारी, पंचायत समिति, दो उपभोक्ता (मनोनयन द्वारा), सामाजिक/उपभोक्ता संगठन के दो सदस्य, समिति के सदस्य है तथा संबंधित प्रवर्तन अधिकारी/प्रवर्तन निरीक्षक इसके सदस्य सचिव है।

- **उचित मूल्य दुकान स्तरीय सतर्कता समिति–**

प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर सतर्कता समिति के गठन के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें शहरी क्षेत्र में वार्ड पार्षद, अध्यक्ष हैं, सामाजिक कार्यकर्ता (2) उपभोक्ता (1) सेवा निवृत अधिकारी, कर्मचारी (स्थानीय निवासी) एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच अध्यक्ष है, उपभोक्ता (1) संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक/अध्यापक, सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी (स्थानीय निवासी) उपभोक्ता/सामाजिक संगठन का कार्यकर्ता, पंच (1) सदस्य है। ये समितियां सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली वस्तुओं की आमद, वितरण व्यवस्था और दुकान संचालन पर निगरानी रखती हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय सतर्कता समितियॉ अलग से गठित हैं।

विभाग के परिपत्र कमांक एफ 97(3)खावि/साविप्र/97–II दिनांक 11.05.1999 द्वारा सतर्कता समितियों के गठन बाबत विस्तार से दिशा निर्देश जारी किये गये है। विभाग के समसंख्यक पत्र 07.12.2005 द्वारा सतर्कता समितियों में गैर सरकारी सदस्यों के मनोनयन पुनः प्रारंभ करने हेतु आदेश दिये गये है ताकि समितियां सशक्त रूप से अपने दायित्व को निभा सके। राज्य स्तरीय सतर्कता समिति के गठन का प्रस्ताव विचाराधीन है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए जाने के क्रम में विभाग द्वारा निम्नाकित कदम उठाए गए है :–

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को खाद्यान्न की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु राज्य में राशन टिकिट व्यवस्था लागू की गई है।

- उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु नवीन दिशा–निर्देश दिनांक 27.02.2009 को जारी किये हुये हैं।

- शैक्षणिक योग्यता हेतु आवेदक के लिये 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, लेकिन जनजाति उपयोजना क्षेत्र व बारां जिले की शाहबाद किशनगंज तहसीलों के लिए अनुसूचित जनजाति/सहरिया व्यक्तियों के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 5वीं कक्षा उत्तीर्ण का प्रावधान किया हुआ है।

- प्रवर्तन अधिकारियो/निरीक्षकों के निरीक्षण व भ्रमण को प्रभावी बनाना।

- नियन्त्रित वस्तुओं की उचित मूल्य दुकान पर पहुंच सुनिश्चित कराने एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को ओर प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उचित मूल्य दुकान स्तर पर अनलोडिंग के समय सतर्कता समिति के सदस्यों, पटवारी, ग्रामसेवक, एएनएम, प्रधानाध्यापक अथवा किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा सत्यापन कराये जाने के निर्देश जारी किये गये।

- सम्पूर्ण राज्य में उचित मूल्य दुकानों के खुली रहने के समय में एक रूपता की गई है–

माह	समय
1 अप्रेल से 30 सितम्बर तक	प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक
1 अक्टूबर से 31 मार्च तक	प्रातः 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक

साप्ताहिक अवकाश का दिन निर्धारित करने के लिए जिला कलक्टर को अधिकृत किया गया है।

विभाग के इस वर्ष के अभिनव कार्य एवं योजनाऐं

(I) "शुद्ध के लिए युद्ध"–

राज्य सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी, जमाखोरी व मिलावट एवं दुरूपयोग को रोके जाने तथा प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने के लिए दिनांक 22 जून, 2009 से **"शुद्ध के लिए युद्ध अभियान"** चलाया जा रहा है। उक्त अभियान के सार्थक परिणामों को देखते हुए जनहित में इस अभियान को निरन्तर चलाये जाने का निर्णय

लिया गया है। दिनांक 07.08.09 से निर्माता एवं बड़े उत्पादकों के विरूद्ध भी अभियान चलाये जाने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं। माननीय खाद्य मंत्री महोदय द्वारा दिनांक 30.12.2009 को एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जिलों में अब फर्जी दवाईयों की जॉच भी चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर इस अभियान के तहत की जायेगी। मुख्य सचिव महोदय के आदेश दिनांक 16.11.2009 के अनुसार इस अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर गठित टीम में पुलिस विभाग का निरीक्षक स्तर का अधिकारी शामिल किया गया है। पुलिस विभाग का यह प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करेगा कि जिला स्तरीय टीम को जॉच निरीक्षण तथा सेम्पल लेने आदि की कार्यवाही में यदि पुलिस की आवश्यकता हो तो पुलिस जिला स्तर पर टीम की कार्यवाही में सहयोग प्रदान करेगी। यह अभियान खाद्य, उद्योग, कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वायत्त शासन तथा पशु पालन एवं डेयरी विभाग के समन्वय से संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत खाद्य विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। 22 जून, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक **"शुद्ध के लिए युद्ध अभियान"** के अन्तर्गत की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है:–

	अनुज्ञा पत्र/ प्राधिकार पत्रधारी एवं अन्य		दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही					
खाद्य एवं आवश्यक वस्तुऐं	निरीक्षणों की संख्या	लिये गये सैम्पलों की संख्या	निलम्बित लाईसेंसों की संख्या	निरस्त किये गये लाईसेंसों की संख्या	दर्ज की गई एफ. आई.आर. की संख्या	विभागीय कार्यवाही एवं जब्त प्रतिभूति राशि (रूपयों में)	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	विभागीय कार्यवाही की संख्या
चीनी, दालें एवं अन्य आवश्यक वस्तुऐं	47108	11319	331	98	50	15150 रूपये 604957/–	123	3301

विस्तृत विवरण परिशिष्ठ–2(ब) पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त अभियान के दौरान चीनी के 459 मामले बनये जाकर 7814.71 क्विंटल चीनी जब्त की गई तथा 16152.04 क्विंटल दलहन जब्त किया गया।

(II) रियायती दालों का वितरण–

राज्य में दालों की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एवं उपभोक्ताओं को रियायती दर पर विभिन्न किस्म की दाल उपलब्ध कराये जाने के लिए राज्य सरकार द्वारा बाहर से दालों का आयात किया गया है।

(A) मूंग की दाल–

भारत सरकार की अनुदानित दर पर आयातित दाल योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 1000 मै. टन मूंग की दाल का एनसीसीएफ के माध्यम से आयात किया जाकर रियायती दर 47/– रूपये प्रति किलोग्राम प्रति राशन कार्ड के आधार पर डेयरी बूथों, उपभोक्ता भण्डारों एवं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपभोक्ताओं को वितरित की गयी है। इसमें भारत सरकार द्वारा 10/– रूपये प्रति किलोग्राम की उपलब्ध कराई गयी अनुदान राशि भी सम्मिलित है। मूंग दाल की कुल आवंटित मात्रा 1000 मै. टन में से उपभोक्ताओं को 892.5 मै. टन दाल का वितरण किया जा चुका है। शेष मात्रा का वितरण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

(B) पीली मटर की दाल–

6000 मै. टन पीली मटर की दाल का आयात एनसीसीएफ के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका शीघ्र वितरण प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

(C) चने की दाल–

राज्य में दाल मिल एसोसियेशन के साथ समझौता कर उनके माध्यम से चने की दाल 29/– रूपये प्रति किलोग्राम के आधार पर 4 किलोग्राम प्रति माह प्रति राशन कार्ड उपभोक्ताओं को उचित मूल्य की दुकानों एवं डेयरी बूथों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। यह व्यवस्था प्रारम्भिक रूप से राज्य के सभी 7 संभागीय मुख्यालयों की नगरीय सीमा में लागू की गई है, जिसमें 986408 किलोग्राम चना दाल का अब तक वितरण हो चुका है।

(3) एपीएल श्रेणी के उपभोंक्ताओं के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत आटा वितरण योजना–

राज्य में मंहगाई को नियंत्रित करने के लिए आटा वितरण की योजना लागू की गई। गेहूँ आटे की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए एवं उपभोक्ताओं को रियायती दर पर गेहूँ आटा उपलब्ध कराये जाने के लिए राज्य

में प्रारम्भिक तौर पर सभी 7 संभागीय मुख्यालयों (अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं भरतपुर) की नगरीय सीमा में ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए गेहूँ आटा योजना माह अक्टूबर, 2009 से प्रारम्भ की गई है, जिसमें प्रति राशन कार्ड 5 एवं 10 किग्रा. की पैकिंग में 10 किग्रा. प्रति राशन कार्ड प्रति माह 9.00 रूपय प्रति किग्रा. की दर से डेयरी बूथों, उपभोक्ता सहकारी भण्डारों एवं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरण किया जा रहा है। इस योजना में ए.पी.एल. श्रेणी के उपभोक्ताओं को माह दिसम्बर, 2009 तक 29477 मै. टन आटा वितरण किया गया है।

(4) खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए आटा वितरण–

खुली बिक्री योजना के अन्तर्गत प्राप्त गेहूँ को आटे में परिवर्तित किया जाकर सभी 7 संभागीय मुख्यालयों (अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा एवं भरतपुर) पर 14/– रूपये प्रति किग्रा. की दर से सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को 20 किग्रा. की पैकिंग में माह दिसम्बर, 2009 से बिना राशन कार्ड की अनिवार्यता के वितरण किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत गेहूँ का आवंटन कर उसे गेहूँ आटे में परिवर्तित कर खुली बिक्री योजना में माह दिसम्बर, 2009 तक 10258 मै. टन आटा वितरण किया गया है। डायवर्जन रोकने के लिए आटा वितरण का विस्तार शीघ्र सभी जिला मुख्यालयों पर किया जा रहा है।

(5) मंहगाई पर नियंत्रण हेतु प्रयास–

उपभोक्ताओं की मांग तथा मंहगाई पर नियंत्रण रखने हेतु ओर अधिक मात्रा में मूंग, मटर दाल एवं सोय खाद्य तेल आयात करने के आदेश दिये गये हैं।

आवश्यक वस्तुओं का आवंटन, मापदण्ड एवं मूल्य

राज्य में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण योग्य वस्तुओं की मात्रा एवं मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित है –

नाम वस्तु	बी.पी.एल.	अन्त्योदय अन्न योजना	अन्नपूर्णा	ए.पी.एल.
गेहूँ	रू. 4.70 (प्रति किलो)	रू. 2.00 (प्रति किलो)	निःशुल्क	रू. 6.80 (प्रति किलो)
चावल	रू. 6.30 (प्रति किलो)	रू. 3.00 (प्रति किलो)	–	रू. 9.00 (प्रति किलो)
खाद्यान्न की मात्रा (प्रतिमाह)	35 किग्रा	35 किग्रा	10 किग्रा	10 किग्रा

बी.पी.एल. परिवारों को चीनी 500 ग्राम प्रति ईकाई प्रति माह,रूपये 13.50 प्रति किलोग्राम की दर से वितरित की जाती है। नीला केरोसीन (डबल गैस सिलेण्डर धारक को छोड़कर) सिंगल गैस सिलेण्डर धारक को 2 लीटर एवं शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन की उपलब्धता के आधार पर समान मात्रा में 10/– रूपये प्रति लीटर की रेट पर उपलब्ध कराया जाता है।

वर्ष 2005 की जनसंख्या ऑकड़ों पर उपरोक्त आवंटन मात्रा भारत सरकार से निर्धारित है, परन्तु राज्य में वर्तमान में बढ़े हुए उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर बी.पी.एल. परिवारों को 30–31 किग्रा. एवं ए.पी.एल. श्रेणी के परिवारों को 5–6 किग्रा. प्रति माह गेहूँ का वितरण किया जा रहा है। इसी प्रकार केरोसीन की मात्रा भी 3–4 लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड पर उपलब्ध की जा रही है।

एपीएल योजना –

सामान्य वर्ग के लोगों को एपीएल श्रेणी का माना गया है। इस योजना में वर्तमान में 122.16 लाख राशन कॉर्डों की संख्या है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत एपीएल परिवारों के लिए गेंहूँ 6.80 पैसे प्रति किलोग्राम प्रतिमाह 35 किलोग्राम प्रति परिवार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश एपीएल परिवारों को लगभग 5–6 किलो. गेहूँ प्रति परिवार प्रतिमाह उपलब्ध करवाया जा रहा है।

पूर्व में केन्द्र सरकार द्वारा राज्य के एपीएल परिवारों के लिये 1,57,682 मैं. टन गेंहूँ प्रतिमाह को आवंटित किया जा रहा था। किन्तु माह जून, 06 से इसमें भारी कटौती करते हुए राज्य को आवंटन 17204 मैं. टन प्रतिमाह कर दिया गया। जिस पर विभाग द्वारा एपीएल मात्रा बढाने बाबत भारत सरकार को पत्र लिखे गये एवं माननीय मुख्य मंत्री महोदय के विशेष प्रयासों से भारत सरकार से राज्य को नियमित आवंटन 17204 मै. टन से बढ़ाकर 64360 मै. टन मार्च 2010 तक के लिए कर दिया गया है। इस प्रकार अब कुल 64360 मै.टन आवंटन प्राप्त हो रहा है। माह अक्टूबर, 2009 से तीन–तीन माहों के लिए 86932 मै.टन खुली बिक्री एवं 76062 मै. टन खाद्यान्न अकालग्रस्त जिलों हेतु प्राप्त हो रहा है तथा 88670 मै. टन का विशेष आवंटन भी दो माह के लिए किया गया है जो क्रमशः 12.50 एवं 11.60 रूपये प्रति किग्रा. की दर से उपभोक्ताओं में वितरण किया जा रहा है।

बीपीएल परिवार –

केन्द्र सरकार की योजनानुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून, 1997 से प्रारम्भ की गई थी। बीपीएल सेन्सस 1997 के आधार पर राज्य में चिन्हित परिवारों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 20.97 लाख तथा शहरी क्षेत्रों में बीपीएल सेंसस 2003 के अनुसार 4.87 लाख बीपीएल परिवार हैं, इस प्रकार कुल बीपीएल परिवारों की संख्या 25.84 लाख हो गई है। इन 25.84 लाख बीपीएल परिवारों में से 9.32 लाख अन्त्योदय परिवारों को कम करने पर 16.52 लाख शुद्ध बीपीएल परिवारों की संख्या रह जाती है।

ग्रामीण बीपीएल सर्वे, 2000 के विरूद्ध एक याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर होने के कारण राशन कार्ड मुद्रण की कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। चूँकि अब याचिका का अन्तिम निर्णय हो चुका है। अतः पुनः राशन कार्ड वितरण की कार्यवाही ए.ए.वाई के लाभार्थियों की छँटनी के पश्चात् शीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

इन्हें निम्नानुसार खाद्य सामग्री का आवंटन किया जाता है:–

बीपीएल	नाम सामग्री	मूल्य (रूपयों में)	मात्रा (प्रति माह)
	गेहूँ	4.70	35 किलोग्राम प्रति राशन कार्ड
	चावल	6.30	
	चीनी	13.50	500 ग्राम प्रति यूनिट
	केरोसीन	10.00	2–5 लीटर प्रति राशन कार्ड

अन्त्योदय अन्न योजना

यह योजना मार्च, 2001 में प्रारम्भ की गई है ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के निर्धनतम वर्ग को सहायता प्रदान करने के संकल्प को परिलक्षित करती है।

अन्त्योदय अन्न योजना के तहत वह परिवार/लक्षित समूह है, जो मुख्यतः बीपीएल परिवारों में से अत्यधिक गरीब है। इस योजना के अन्तर्गत लक्षित परिवारों की क्रय शक्ति को ध्यान में रखते हुए अनुदानित दर पर गेंहूँ 2/– रूपये प्रति किलोग्राम एवं चावल 3/– रूपये प्रति किलोग्राम से प्रति

माह प्रति परिवार 35 किलोग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। योजना में प्रारंभ से लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है –

चयन हेतु अनुमत संख्या		चयनित परिवार (लाख)
सामान्य	3.72600	3.72600
प्रथम विस्तार 2003.2004	1.86500	1.86500
द्वितीय विस्तार 2004.2005	1.79000	1.79000
तृतीय विस्तार 2005.2006	1.94000	1,94,000
महायोग	9.32100	9,32,100

तृतीय विस्तार अंतर्गत वर्ष 2005–06 के लिए 1.94 लाख परिवारों के चयन के विरूद्ध तदनुसार भारत सरकार से खाद्यान्न आवंटन प्राप्त हो रहा है एवं जिलों को लाभान्वितों हेतु खाद्यान्न वितरण का आवंटन किया जा रहा है।

अन्नपूर्णा योजना

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के अंतर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु के असहाय वृद्ध व्यक्तियों को जो वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र हैं, लेकिन उन्हें राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन अथवा राज्य वृद्धावस्था पेंशन दोनों में से कोई भी नहीं मिल रही है, ऐसे पात्र व्यक्तियों को अधिकारिता पत्र **(गुलाबी रंग का प्राधिकार पत्र)** के आधार पर 10 किलोग्राम गेंहूँ प्रति माह निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है। इस योजना अन्तर्गत चयनित व्यक्तियों को गेंहूँ का वितरण त्रैमासिक रूप से किया जाता है। वर्तमान में वर्ष 2001–02 में चयनित व्यक्तियों के लिए ही भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना में लाभान्वितों का विवरण निम्नानुसार है :–

चयनित वर्ष	चयनित लाभान्वित संख्या	10 किलो प्रति माह के अनुसार मांग (Kg. प्रति माह)	वर्तमान आवंटन (वार्षिक) (मै. टन)	दर
2001–02	105293	1052930	12635	निशुल्क

योजना में 2009–10 में आवंटन एवं उठाव **परिशिष्ठ – 2** एवं योजनावार परिवारों की सूची **परिशिष्ठ – 2** "अ" पर स्थित है।

राशन टिकट योजना

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बीपीएल, अन्त्योदय योजना के राशन कार्डधारकों एवं अन्नपूर्णा के अधिकार पत्रधारियों को वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों को लक्षित समूह तक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राशन टिकिट योजना लागू की गई है। बीपीएल, अन्त्योदय एवं अन्नपूर्णा योजना के पूर्व अंकित खाद्यान्न मात्रा के राशन टिकिट वर्ष 2009–10 के लिए सभी जिला रसद अधिकारियों को वितरण किये जाने हेतु उपलब्ध कराये जा चुके हैं। बीपीएल /अन्त्योदय अन्न योजना /अन्नपूर्णा योजना के उपभोक्ताओं द्वारा उचित मूल्य दुकानदार को राशन कार्ड के साथ राशन टिकिट उपलब्ध कराने पर ही खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, इससे आवंटित सामग्री के दुरूपयोग अथवा डायवर्जयन को रोकने में सहायता मिलती है।

समर्थन मूल्य के अन्तर्गत खरीद

किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त हो व अनुचित व्यापारिक प्रवृतियों से किसानों की सुरक्षा की जावे, इसी दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कृषि जिन्सों के समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। विभाग द्वारा भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य एजेन्सियों के मार्फत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर निम्न जिंसों की खरीद की जाती है–

रबी फसल– गेहूँ व जौ, धान (पैडी)

खरीफ फसल में मोटे अनाज यथा बाजरा, ज्वार व मक्का

(अ) विपणन वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 में भारत सरकार द्वारा रबी एवं खरीफ के लिए निम्न प्रकार समर्थन मूल्य घोषित किये गये हैं:–

(समर्थन मूल्य रूपये प्रति क्विंटल में)

		वर्ष 2008–2009	वर्ष 2009–10
रबी	गेहूँ	1080	1100
	जौ	680	750
खरीफ (मोटे अनाज)	बाजरा व ज्वार	840	840
	मक्का	840	840

भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम व राजफैड द्वारा राज्य में रबी विपणन वर्ष 2008–09 में 9.35 लाख मै.टन गेहूँ एवं वर्ष 2009–10 मे 11.52 लाख मै.टन गेहूँ की खरीद की गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2009–10 में राज्य की विभिन्न मण्डियों में बाजरा व मक्का के भाव समर्थन मूल्य से अधिक रहने के कारण बाजरा व मक्का की कोई खरीद नहीं की गई है।

(ब) पैडी (धान)–

वर्ष 2008–09 में धान समर्थन मूल्य पर क्रय नहीं किया गया;तथा वर्ष 2008–09 में पैडी की खरीद शुन्य रही है । पैडी/धान का समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा वर्ष 2007–08 में निम्न प्रकार से निर्धारित किया गया–

धान	दर रूपये प्रति क्विंटल
कामन	850+50(बोनस) =900
ग्रेड–ए	880+50(बोनस) =930

(स) लेवी का चावल

वर्ष 2007–08 में कुल 19714 मै. टन चावल की लेवी के रूप में खरीद की गई है। वर्ष 2008–09 के लिए भारत सरकार द्वारा लेवी चावल का मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया–

1	चावल (रॉ राईस)	दर रूपये प्रति क्विंटल
	कामन	1462.30
	ग्रेड–ए	1508.70
2	चावल (पारबाइल्ड)	दर रूपये प्रति क्विंटल
	कामन	1456.10
	ग्रेड–ए	1501.80

उक्त मूल्य के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए केन्द्रीय पूल की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए चावल पर लेवी लिये जाने का प्रावधान किया गया है। राज्य के समस्त जिलों में वर्ष 2008–09 में चावल पर 50 प्रतिशत लेवी का प्रावधान है। बासमती चावल की उपज को बढ़ावा देने की दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए उस पर लेवी नहीं लगाई गई है।

चीनी–

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को वर्ष 01.03.2000 की बीपीएल जनसंख्या के आधार पर फरवरी, 2001 से लगभग 7460 मै. टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा था, जिसे बीपीएल राशन कार्डधारकों को प्रति माह 500 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 13.50 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जा रहा था। जनवरी, 2009 से राज्य को 7458.1 मै. टन लेवी चीनी का आवंटन प्राप्त हो रहा है तथा अक्टूबर, 2009 व नवम्बर, 2009 में क्रमशः 10005.3 मै. टन चीनी का आवंटन प्राप्त हुआ है। इसमें सुरक्षा बलों का कोटा भी शामिल है। इसे सभी जिलों से समानुपातिक रूप से आवंटित कर दिया जाता है। वर्षवार चीनी के आवंटन एवं उठाव की स्थिति **परिशिष्ठ–3** पर संलग्न है।

विभागीय परिपत्र संख्या एफ. 17(45)खा.वि./विधि/76–II दिनांक 24.02.05 द्वारा घर से दूर अध्ययनरत छात्रों को प्रति राशन कार्डवार 500 ग्राम की मात्रा में प्रति माह लेवी चीनी उपलब्ध कराई जाने का प्रावधान किया गया है। जिलों में छात्रों के राशन कॉर्ड बनाये जाने हेतु उनके संस्था/स्कूल/कॉलेज प्रमुखों को प्राधिकृत किया हुआ है तथा समस्त जिला रसद अधिकारियों को नोड़ल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया हुआ है। चीनी के लिए लाईसेंस व्यवस्था लागू कर स्टॉक सीमा तथा टर्न–ओवर अवधि का प्रावधान **परिशिष्ठ–6** पर संलग्न है।

केरोसीन –

राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत भारत सरकार के पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली से माह जुलाई, 2009 से (त्रैमासिक रूप में) प्रति माह 42648 के.एल. का आवंटन प्राप्त हो रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्राप्त नीला केरोसीन केवल खाना पकाने एवं रोशनी के उद्धेश्य से वितरण कराया जाता है। प्राप्त आवंटन का एक निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत जिलों को उप आवंटन किया जाता है। रसोई गैस के डी.बी.सी. होल्डर्स राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को केरोसीन नहीं दिया जाता है। रसोई गैस के सिंगल गैस कनेक्शन राशन कार्ड उपभोक्ताओं को दो लीटर प्रति माह प्रति राशन कार्ड तथा शेष सामान्य राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को प्राप्त आवंटन के आधार पर समान मात्रा में वितरण किया जाता है। वर्षवार केरोसीन के आवंटन व उठाव की सूचना **परिशिष्ठ – 4** पर संलग्न है।

माननीय खाद्य मंत्री महोदय के निर्देशानुसार ऑयल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है कि केरोसीन का डायवर्जन रोकने के लिए केरोसीन के डीलरों को 6 माह में भूमिगत स्टोरेज टैंक बनाने के लिए आदेश जारी कर दिये हैं तथा जिला कलक्टर्स को भी यह निर्देश जारी किये गये हैं कि रूट चार्ट बनाकर जो भी टैंकर तेल कम्पनी से तेल लेकर रवाना होता है वह इसकी सूचना कलक्टर को दे और कलक्टर रूट चार्ट के अनुसार संबंधित तहसील / एस.डी.ओ. को निर्देश देवें कि टैंकर आ रहा है उसका सत्यापन किया जावे और डी.एस.ओ. कम्प्यूटर से ट्रांसमिशन करेंगे कि कौन–सा टैंकर कब और कहॉ के लिए रवाना हो रहा है।

वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरोसीन का राज्य में समान वितरण दर से वितरण कराने हेतु माह मई, 2005 से केरोसीन की समान वितरण दर 10.00 रूपये प्रति लीटर कर दी गयी है।

एल.पी.जी.–

घरेलू गैस रिफिल का राज्य में पंजीकृत उपभोक्ताओं की मांग के अनुसार नियमित रूप से उपलब्धता के संबंध में राज्य सरकार पूर्ण रूप से सतर्क है। घरेलू गैस का व्यवसायिक ईंधन के रूप में प्रयोग को रोकने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रभावी कदम उठाये गये हैं तथा जिला प्रशासन एवं तेल कम्पनियों को निर्देशित किया गया है। सभी जिलों में मिठाई की दुकानों, रेस्टोरेंट, वाहनों में दुरूपयोग आदि पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग करने पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 के अंतर्गत कार्यवाही कर प्रकरण बनाये गये है। घरेलू गैस सिलेण्डर 14.2 किलोग्राम एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर 19.2 किलोग्राम में उपलब्ध हैं। राज्य में कुकिंग गैस (एलपीजी) का वितरण आईओसी, एचपीसी एवं बीपीसी तेल कम्पनियां कर रही हैं। उपरोक्त कम्पनियों से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 2009 तक कुल 4293008 घरेलू गैस कनेक्शन हैं जिनमें से 2442052 डीबीसी एवं 1850956 सिंगल गैस कनेक्शन जारी किए हुए है।

माननीय खाद्य मंत्री महोदय की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समन्वयक एवं तेल विपणन कम्पनियों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें रसोई गैस की आपूर्ति, नये गैस कनेक्शन जारी करने एवं बैकलॉग खत्म किये जाने के साथ टॉल फ्री नम्बर सिलेण्डर पर अंकित करने के निर्देश दिये गये। प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा नये गैस कनेक्शन जारी करने पर निर्धारित

प्रतिभूति राशि के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु जैसे– हॉटप्लेट, प्रेशर कूकर, उपभोक्ताओं को चाय, चावल, चीनी, दाल, माचिस और साबुन इत्यादि लेने को मजबूर करने की शिकायत मिलने पर गैस एजेन्सी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा जुर्माना से लेकर लाईसेंस निलम्बित /निरस्त करने तक की कार्यवाही की जायेगी।

उपभोक्ता सुरक्षा

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य स्तर पर राज्य आयोग एवं जिला स्तर पर सभी जिलों में जिला मंचों का गठन किया हुआ है। जयपुर जिले में एक अतिरिक्त पूर्णकालिक मंच का गठन किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में सभी 32 जिलों में पूर्णकालीन जिला मंच गठित है।

जमाखोरी एवं कालाबाजारी रोकने हेतु कार्यवाही–

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 केतहत कार्यवाही कर आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से रखने हेतु निरन्तर निगरानी की व्यवस्था है। इस कार्यवाही के तहत अप्रैल, 2009 से नवम्बर, 2009 तक 490 छापे मारकर 217.48 लाख रूपये की आवश्यक उपभोक्ता सामग्री जब्त की गयी। 89 व्यापारी के अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य में वर्ष 2009–10 के नवम्बर, 09 तक की गई कार्यवाही का मानचित्र **परिशिष्ठ – 5** पर संलग्न है।

उपभोक्ता संरक्षण

उपभोक्ता आन्दोलन को गति प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किये गये हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है–

निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिए विधिक सहायता योजना–

उपभोक्ता संरक्षण कानून की सार्थकता निर्धन/अक्षम उपभोक्ता को इस कानून का लाभ प्रदान करने में निहित है। वैधानिक रूप से वकील की अनिवार्यता नहीं होने के बावजूद उपभोक्ता मामलो में वकील उपभोक्ता मंचों में उपस्थित हो रहे है। इन परिस्थितियों में ऐसे निर्धन/अक्षम उपभोक्ता जो कि वकील का खर्च वहन करने में असमर्थ है, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करायी जा रही हैं।

इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये निर्धन/अक्षम उपभोक्ताओं के लिये विधिक सहायता की एक योजना है। यह योजना राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर प्रारंभ की जा चुकी है। जिले के एक चिन्हित स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को इस योजना के लिये 10 हजार रूपये की राशि उपलब्ध करा दी गयी है। इस राशि में से स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन प्रत्येक प्रकरण के लिये अधिकतम रूप से 300/– रूपये की विधिक सहायता संबंधित वकील को पारिश्रमिक एवं अन्य व्यय के लिए भुगतान करेगा। प्रकरण में निर्णय होने पर यदि निर्णय उपभोक्ता के पक्ष में होता है तो उपभोक्ता को क्षतिपूर्ति एवं वाद खर्च के रूप में जो राशि अप्रार्थी से प्राप्त होगी उस राशि में से स्वैच्छिक संगठन अपने द्वारा व्यय की गई राशि उपभोक्ता से प्राप्त कर रसीद देगे और इस प्रकार स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन के पास इस योजना के मद में रिवोल्विंग फण्ड बन सकेगा। स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। राज्य के समस्त जिलों में यह योजना लागू की जा चुकी है।

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों के सशक्तीकरण की योजना–

उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जन जागृति के कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों की भूमिका बढ़ाने हेतु उनका सशक्तीकरण किया जाना आवश्यक है। सभी जिला मुख्यालय में एक स्वैच्छिक संगठन इस कार्य के लिये चिन्हित कर उसके सशक्तीकरण के लिए 50,000 रू. की राशी प्रदान किये जाने की योजना राज्य सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई है। इस योजना के लिए राज्य के सभी जिलों को प्रति जिला 50,000 रू. की राशी विभाग द्वारा भेजी जा चुकी है। इस राशि से संगठन, कम्प्यूटर (प्रिन्टर सहित) खरीद सकेगे तथा शेष राशि आई. ई. सी. मैटेरियल तैयार करने में व्यय कर सकेगे। योजना के लिए स्वैच्छिक संगठन का चयन, उपभोक्ता क्लब योजना के लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित जिला स्तरीय समन्वय समिति द्वारा किये जाने का प्रावधान है। स्वैच्छिक संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की मोनीटरिंग जिले के जिला रसद अधिकारी द्वारा की जायेगी।

विद्यालयो में उपभोक्ता क्लबों का गठन–

युवाओ एवं बच्चो में उपभोक्ता संरक्षण के प्रति जागृति उत्पन्न करने एवं शिक्षण संस्थाओ के माध्यम से उपभोक्ता संरक्षण का प्रचार–प्रसार करने की दृष्टि से राज्य के 500 राजकीय सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयो का

उपभोक्ता क्लब स्थापित करने के लिए शिक्षा सत्र 2004–05 में चयन किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा प्रवर्तित इस योजना के दूसरे चरण में राज्य के 500 राजकीय सीनियर सैकण्डरी एवं सैकण्डरी विद्यालयों का चयन कर उपभोक्ता क्लब स्थापित किये गये है। इस प्रकार राज्य के 1000 राज्यकीय विद्यालयो में उपभोक्ता क्लब स्थपित है। प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्थापित उपभोक्ता क्लबों हेतु भारत सरकार से 1.50 करोड़ की राशि प्राप्त हुई है, जिसे उपभोक्ता क्लबों को आवंटित की जा चुकी है।

ऐसे अनेक उदाहरण मिल रहे है, जिनमें क्लब के सदस्य (छात्र) उपभोक्ता अधिकारों के हनन पर अपने माता–पिता एवं अभिभावकों को उपभोक्ता अदालत में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं तथा उन्हें सजग उपभोक्ता बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

राज्य उपभोक्ता कल्याण कोष–

उपभोक्ता हितों के संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा उपभोक्ता संरक्षण संबंधी कार्यक्रमों/योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था उपलब्ध कराने के उद्धश्ेय से राज्य में उपभोक्ता कल्याण कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में भारत सरकार द्वारा 27 लाख रूपये का योगदान दिया गया तथा इतनी ही राशि (27 लाख) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई। इस कोष का संचालन विभाग की पंजीकृत संस्था, राजस्थान कल्याण समिति, जयपुर द्वारा किया जाता है। वित्त विभाग की आई.डी संख्या 20/13.03.09 की पालना में राजस्थान कल्याण समिति कोष से 27.50 करोड़ रूपये (चैक सं. 850888 द्वारा) राज्य सरकार को स्थानान्तरित (वित्त विभाग को दिनांक 30.04.09) किया जा चुका है।

उपभोक्ता जागरूकता हेतु किए जा रहे महत्वपूर्ण प्रयास–

उपभोक्ता हितों को सर्वोपरी रखते हुए राज्य में उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में आरंभ से ही महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। 'जागरूक उपभोक्ता, सुरक्षित उपभोक्ता' के साथ ही उपभोक्ता शिक्षा की दिशा में प्रभावी वातावरण निर्माण किए जाने के लिए राज्य में उपभोक्ता सूचना केन्द्रों की जहां पहल की गयी है वहीं राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना भी की गयी है। राज्य के प्रमुख मेलों में उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम संबंधी विशेष आयोजनों के साथ ही उपभोक्ता जागरूकता के लिए किए जा रहे प्रयास इस प्रकार से है–

जिला उपभोक्ता सूचना केंद्र–

वर्तमान युग सूचना का युग है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के संबंध में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराने से ही उपभोक्ता आन्दोलन को सफल कहा जा सकता है। जागरुक उपभोक्ता सजग और सुरक्षित बन सकता है। अतः राज्य के सभी जिलों में उपभोक्ता सूचना एवं परामर्श केंद्र स्थापित किए जावेंगे। इन केंद्रों पर उपभोक्ताओं को उनके उपयोग की सूचनाऐं एवं उपभोक्ता कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होगी। आगामी महिनों में इस योजना को क्रियान्वित कर दिया जायेगा।

प्रमुख मेलों में उपभोक्ता जागृति कार्यक्रम –

आम उपभोक्ताओं में उपभोक्ता जागृति के प्रसार के उद्देश्य से उपभोक्ता प्रदर्शनी का आयोजन प्रारम्भ किया गया है। पुष्कर मेले में स्थानीय स्वेच्छिक संगठन के सहयोग से उपभोक्ता प्रदर्शनी आयोजित की गई। विभाग की ओर से राज्य के प्रमुख मेलों में उपभोक्ता चेतना से संबंधित नुक्कड नाटक भी आयोजित किये जा रहे हैं। हाल ही में जैसलमेर एवं भरतपुर जिले में क्रमशः आयोजित मरू उत्सव एवं ब्रज उत्सव में नुक्कड नाटक प्रदर्शित किये गये हैं।

- राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस (24 दिसम्बर, 2009) के राज्य स्तरीय समारोह में विभागीय पत्रिका **"उपभोक्ता मंगल"** का माननीय मंत्री महोदय द्वारा विशेषांक जारी किया गया।

- उपभोक्ता शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से विभाग ने 'उपभोक्ता शिक्षा प्रकाशन श्रृंखला' प्रारंभ की है। इस श्रृंखला की पहली पुस्तिका 'राजस्थान में उपभोक्ता संरक्षण की विशिष्ट योजनायें' राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के राज्य स्तरीय समारोह के अवसर पर लोकार्पित की गयी।

राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना –

उपभोक्ताओं को शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुलभ कराने हेतु राज्य आयोग की एक सर्किट बैंच की स्वीकृति दी गई है। सर्किट बैंच के लिए आवश्यकतानुसार सदस्य, स्टॉफ एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं की स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है। राज्य आयोग की सर्किट बैंच ने माह फरवरी, 2006 से कार्य प्रारम्भ कर दिया है। राज्य आयोग की सर्किट बैंच की स्थापना जोधपुर में करने हेतु आदेश जारी किये जा चुके है।

उपभोक्ता निदेशालय–

राज्य विधानसभा में दिनांक 19.01.04 को महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उपभोक्ता निदेशालय का गठन प्रस्तावित किया गया था। बाद में 09.03.07 को मुख्यमंत्री द्वारा बजट भाषण में भी इस हेतु घोषणा की गयी। इसकी अनुपालना में निदेशक, उपभोक्ता मामले का प्रभार अतिरिक्त आयुक्त खाद्य को (As ex officio Director) नियुक्त किया गया। निदेशालय के पूर्ण गठन की तत्सम्बन्धी अन्य कार्यवाही अभी होनी शेष है।

उपभोक्ता संरक्षण सबंधी प्रचार–प्रसार गतिविधियॉ

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का व्यापक आयोजन–

24 दिसम्बर, 2009 को राजस्थान में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का सभी जिलों एवं राज्य स्तर पर आयोजन किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के सन्दर्भ में जयपुर शहर के प्रमुख सार्वजनिक स्थानों यथा बस स्टेन्ड, रेलवे स्टेशन, सैन्ट्रल पार्क, छोटी चौपड़, बडी चौपड़, राजस्थान विश्वविद्यालय आदि स्थानों पर 18 दिसम्बर 2009 से 23 दिसम्बर 2009 के मध्य उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित नुक्कड़ नाटकों का मंचन किया गया।

23 दिसम्बर 2009 की सांय को (राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस की पूर्व संध्या) स्टेच्यू सर्किल पर उपभोक्ता जागृति "दीप ज्योति" कार्यक्रम आयोजित कर 6000 दीप जलाये गये।

राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह में पेटिंग प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में 3000/–, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 2000/– व तृतीय विजेता को 1000/– रूपये का नगद पुरस्कार दिया गया। इसी तरह वाद–विवाद प्रतियोगिता में प्रथम विजेता को 3000/–, द्वितीय को (दो प्रतिभागी) 1000–1000 व तृतीय विजेता (दो प्रतिभागी) को 500–500 रूपये का नगद पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार निबंध प्रतियोगिता के प्रथम विजेता को 3000/–, द्वितीय विजेता को 2000/– व तृतीय विजेता को 1000/– रूपये नगद प्रदान किये गये। इस प्रकार उपभोक्ता क्षेत्र में सहभागिता हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया गया।

उपभोक्ता जागृति अभियान–सीमित सहायता योजना–

स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं शैक्षणिक संस्थाओं इत्यादि को उपभोक्ता संरक्षण से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु विभाग ने यह योजना अप्रेल, 2007 में प्रारम्भ की है। इस योजना के अन्तर्गत 5000/– रूपयें से 50,000/– रूपयें तक की सहायता प्रदान की जा सकती है। 5000/– रूपयें तक की सहायता जिला कलेक्टर स्वयं के स्तर पर प्रदान कर सकते है। इससे अधिक राशि की सहायता के लिए प्रकरण खाद्य विभाग मुख्यालय में विचारार्थ प्रेषित किये जाने का प्रावधान है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005–

सूचना का अधिकार, अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के सभी शासन उपसचिव एवं उपायुक्त, सहायक खाद्य आयुक्त, मुख्य लेखाधिकारी खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उपायुक्त (द्वितीय) को नोडल अधिकारी तथा सभी जिला रसद अधिकारियों को अपने–जिलों के लिए राज्य जन सूचना अधिकारी और सभी उपखण्ड अधिकारियों को अपने–अपने क्षेत्र के लिये राज्य सहायक जन सूचना अधिकारी तथा खाद्य आयुक्त को प्रथम अपील की सुनवाई हेतु अपीलीय अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के अनु0 (बी) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर विभागीय मैन्यूअल प्रकाशित किया जा चुका है। इस मैन्यूअल की प्रति विभाग मुख्यालय पर सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। इसकी प्रति सभी जिला रसद अधिकारियों और उपखण्ड अधिकारियों के कार्यालयों को सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ विभागीय पत्र दिनांक 13.10.2005 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है।

अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना–पत्रों का निर्धारित अवधि में अथवा इससे पूर्व निस्तारण किया जाता है।

वास्तविक आय व्यय एवं संशोधित प्रावधान

वर्ष 2007–08, 2008–09 के वास्तविक आय–व्यय एवं वर्ष 2008–09 के संशोधित तथा 2009–10 के मूल प्रावधानों का विवरण **परिशिष्ठ– 7** पर एवं विभाग का प्रशासनिक संरचना **परिशिष्ठ– 8** पर अंकित है।

परिशिष्ठ–1

दिसम्बर, 2009 को कार्यरत उचित मूल्य की दुकानों की जिलेवार स्थिति

क्र.सं.	नाम जिला / संभाग	उचित मूल्य दुकानों की श्रेणीनुसार स्थिति						
		शहरी		ग्रामीण		कुल		
		सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	सहकारी	निजी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजमेर – संभाग							
1	अजमेर	29	417	130	411	**159**	**828**	**987**
2	भीलवाडा	23	112	238	403	**261**	**515**	**776**
3	नागौर	6	194	88	816	**94**	**1010**	**1104**
4	टोंक	0	103	49	374	**49**	**477**	**526**
	योग	**58**	**826**	**505**	**2004**	**563**	**2830**	**3393**
2	भरतपुर – संभाग							
1	भरतपुर	3	189	36	573	**39**	**762**	**801**
2	धौलपुर	20	67	23	314	**43**	**381**	**424**
3	करोली	5	79	44	386	**49**	**465**	**514**
4	सवाई माधोपुर	3	83	17	427	**20**	**510**	**530**
	योग	**31**	**418**	**120**	**1700**	**151**	**2118**	**2269**
3	बीकानेर – संभाग							
1	बीकानेर	20	189	73	447	**93**	**636**	**729**
2	चूरू	7	203	106	513	**113**	**716**	**829**
3	गंगानगर	42	186	138	334	**180**	**520**	**700**
4	हनुमानगढ	6	197	72	339	**78**	**536**	**614**
	योग	**75**	**775**	**389**	**1633**	**464**	**2408**	**2872**
4	जयपुर – संभाग							
1	अलवर	16	103	63	759	**79**	**862**	**941**
2	दौसा	1	63	27	586	**28**	**649**	**677**
3	जयपुर	39	671	104	746	**143**	**1417**	**1560**
4	झुन्झुनू	4	150	52	516	**56**	**666**	**722**
5	सीकर	2	244	72	546	**74**	**790**	**864**
	योग	**62**	**1231**	**318**	**3153**	**380**	**4384**	**4764**

5	जोधपुर – संभाग							
1	बाडमेर	8	58	236	638	**244**	**696**	**940**
2	जैसलमेर	12	15	24	252	**36**	**267**	**303**
3	जालौर	5	54	146	353	**151**	**407**	**558**
4	जौधपुर	216	172	304	419	**520**	**591**	**1111**
5	पाली	12	144	206	383	**218**	**527**	**745**
6	सिरोही	8	47	66	247	**74**	**294**	**368**
	योग	**261**	**490**	**982**	**2292**	**1243**	**2782**	**4025**
6	कोटा – संभाग							
1	बांरा	9	66	12	416	**21**	**482**	**503**
2	बून्दी	2	93	36	251	**38**	**344**	**382**
3	झालावाड	5	79	59	409	**64**	**488**	**552**
4	कोटा	29	261	60	228	**89**	**489**	**578**
	योग	**45**	**499**	**167**	**1304**	**212**	**1803**	**2015**
7	उदयपुर – संभाग							
1	बांसवाडा	1	49	74	531	**75**	**580**	**655**
3	चित्तौडगढ	12	121	150	523	**162**	**644**	**806**
3	डूँगरपुर	3	43	107	357	**110**	**400**	**510**
4	राजसमन्द	6	46	70	329	**76**	**375**	**451**
5	उदयपुर	28	218	166	819	**194**	**1037**	**1231**
	योग	**50**	**477**	**567**	**2559**	**617**	**3036**	**3653**
	महायोग	**582**	**4716**	**3048**	**14645**	**3630**	**19361**	**22991**

परिशिष्ठ – 2

राज्य को प्राप्त खाद्यान्न का पिछले पांच वर्ष का मासिक आवंटन व उठाव

1. गेंहूँ एपीएल

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	2188544	198433	**9.07**
2006-2007	526954	153529	**29.14**
2007-2008	290948	236554	**81.30**
2008-2009	343114	287664	**83.84**

अप्रेल, 2009 से दिसम्बर 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,09	64360	77890	121.02
मई, 09	64360	59874	93.03
जून, 09	64360	56301	87.48
जुलाई,0	64360	58952	91.60
अगस्त,09	64360	61677	95.83
सितम्बर,09	64360	60458	93.94
अक्टूबर,09	64360	66097	102.70
नवम्बर 09	64360	62505	97.12
दिसम्बर 09	64360	63083	98.02
योग	**579240**	**566837**	**97.86**

2. बीपीएल गेहूँ का आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	517808	448715	**86.66**
2006-2007	434372	415671	**95.69**
2007-2008	408640	385339	**94.30**
2008-2009	595800	589606	**98.96**

अप्रेल, 2009 से दिसम्बर 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,09	52461	59049	112.56
मई, 09	52461	50037	95.38
जून, 09	52461	51471	98.11
जुलाई,0	52461	51841	98.82
अगस्त,09	52461	51261	97.71
सितम्बर,09	52461	50920	97.06
अक्टूबर,09	52461	52784	100.62
नवम्बर 09	52461	51990	99.10
दिसम्बर 09	52461	50452	96.17
योग	**472149**	**469805**	**99.50**

3. अन्त्योदय अन्न योजना के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	336195	293333	**87.25**
2006-2007	374394	341639	**91.25**
2007-2008	378600	357826	**94.51**
2008-2009	389340	380565	**97.75**

अप्रेल, 2009 से दिसम्बर 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,09	32624	31344	96.08
मई, 09	32624	33922	103.98
जून, 09	32624	31160	95.51
जुलाई,0	32624	33016	101.20
अगस्त,09	32624	30603	93.81
सितम्बर,09	32624	31389	96.21
अक्टूबर,09	32624	32582	99.87
नवम्बर 09	32624	32432	99.41
दिसम्बर 09	32624	31307	95.96
योग	**293616**	**287755**	**98.00**

4. अन्नपूर्णा गेंहूँ के आवंटन एवं उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	12635	13642	**107.97**
2006-2007	12635	11626	**92.01**
2007-2008	12635	11655	**92.24**
2008-2009	12635	11536	**91.30**

अप्रेल, 2009 से दिसम्बर 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,09	0	0	0.00
मई, 09	0	0	0.00
जून, 09	0	0	0.00
जुलाई,0	0	0	0.00
अगस्त,09	0	0	0.00
सितम्बर,09	5204	3843	73.85
अक्टूबर,09	1053	1532	145.49
नवम्बर 09	1053	1510	143.40
दिसम्बर 09	1053	992	94.20
योग	**8362**	**7877**	**94.20**

5. एपीएल चावल के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	575212	190	**0.03**
2006-2007	810936	9825	**1.21**
2007-2008	0	0	**0.00**
2008-2009	490	385	**78.57**

6. बीपीएल चावल के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	75574	19999	**26.46**
2006-2007	200934	100952	**50.24**
2007-2008	202392	146915	**72.59**
2008-2009	33732	26963	**79.93**

7. अन्त्योदय चावल के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	3823	2318	**60.63**
2006-2007	11320	4518	**39.91**
2007-2008	12888	6435	**49.93**
2008-2009	2148	1180	**54.93**

8. अकाल राहत हेतु आवंटित एपीएल गेंहूँ के उठाव की सूचना माह दिसम्बर, 09 तक

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2009-2010	64360	65274	**100%**

9. खुली बिक्री योजना में आवंटित गेंहूँ के उठाव की सूचना माह अक्टूबर, 09 से दिसम्बर, 09 तक

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2009-2010	86932	85054	**98%**

10. खुली बिक्री योजना में आवंटित चावलं के उठाव की सूचना माह अक्टूबर, 09 से दिसम्बर, 09 तक

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2009-2010	39	39	**100%**

परिशिष्ठ – 2 (अ)

योजनावार परिवारों की संख्या

कम संख्या	जिला	एपीएल परिवार	बीपीएल परिवार	अन्त्योदय परिवार	अन्नपूर्णा लाभार्थी
1	2		4	5	6
1	अजमेर	476720	63901	26483	4078
2	अलवर	613344	60674	32424	1872
3	बांसवाडा	169471	104541	67907	3939
4	बांरा	210564	16113	42327	5229
5	बाडमेर	420454	52660	32392	3674
6	भरतपुर	371495	42669	20194	1855
7	भीलवाडा	459594	72687	43099	4355
8	बीकानेर	302932	57511	23625	5336
9	बून्दी	198399	37332	18851	786
10	चित्तौडगढ	394631	83879	64834	1878
11	चूरू	333802	64571	30000	4126
12	दौसा	300632	29832	16872	837
13	धौलपुर	188560	25421	13740	2025
14	डूँगरपुर	124719	81716	52426	5014
15	गंगानगर	525192	44361	17566	554
16	हनुमानगढ	356229	41867	18031	3324
17	जयपुर	1279804	72645	27861	1720
18	जैसलमेर	92918	14044	8075	2893
19	जालौर	289597	38642	32936	3200
20	झालावाड	313726	42302	23062	2342
21	झुन्झुनू	462207	26331	12314	2722
22	जौधपुर	714424	49284	15695	5067
23	करोली	197846	43504	26051	2833
24	कोटा	328268	63700	18299	2920
25	नागौर	645872	50987	24398	10456
26	पाली	409462	50424	26746	2755
27	राजसमन्द	235998	33932	28360	2006
28	सीकर	471421	31876	13639	2851
29	सिरोही	220823	26708	15128	1319
30	सवाई माधोपुर	239087	42100	21975	6600
31	टोंक	227593	41659	26324	2497
32	उदयपुर	639680	144713	90467	4230
	योग	**12215464**	**1652586**	**932101**	**105293**

नोटः– ग्रामीण क्षेत्र में सेंसस 1997 एवं शहरी क्षेत्र में सेंसस 2003 के अनुसार बीपीएल परिवार हैं।

परिशिष्ठ – 2 (ब)

राजस्थान सरकार

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग

"शुद्ध के लिए युद्ध" अभियान की प्रगति रिपोर्ट

अवधि 22.06.09 से 31.12.2009 तक

क.सं	विभाग	अनुज्ञापत्र / प्राधिकार पत्रधारी एवं अन्य	निरीक्षणों की संख्या	लिये गये सेम्पल की संख्या	दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही					
					निलम्बित लाइसेन्सों की (संख्या)	दर्ज की गई एफ.आई.आर की (संख्या)	निरस्त लाईसेन्सों की (संख्या)	प्रतिभूति जब्त (संख्या)	प्रतिभूति जब्त (राशि. रू)	विभागीय कार्यवाहियों की (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	खाद्य विभाग	उ.म.दुकान	3172	20	280	15	87	6209	501436	1611
2		आर.टी.ए.एल चीनी आदि	459	16	5	1	4	2010	8150	133
3		एल.पी.जी	286	4	2	10	0	5253	39601	114
4		पेट्रोलियम पदार्थ	403	47	7	4	0	1251	31401	214
5		बैरल पोइन्ट	72	7	0	0	5	52	10893	43
		योग	**4392**	**94**	**294**	**30**	**96**	**14775**	**591481**	**2115**
6	उद्योग विभाग	पेट्रोलियम पदार्थ एवं अन्य वस्तुओं के बाट,माप,तौल के मामले	2036	100	1	12	0	32	11802	624
		योग	**2036**	**100**	**1**	**12**	**0**	**32**	**11802**	**624**
7	कृषि विभाग	बीज,उर्वरक एवं कीटनाशक दवाईयों की गुणवत्ता की जांच	1328	1955	9	2	0	1	5	89
		योग	**1328**	**1955**	**9**	**2**	**0**	**1**	**5**	**89**

निरन्तर ----------

क्र.सं	विभाग	अनुज्ञापत्र / प्राधिकार पत्रधारी एवं अन्य	निरीक्षणों की संख्या	लिये गये सेम्पल की संख्या	दोषियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही					
					निलम्बित लाइसेन्सों की (संख्या)	दर्ज की गई एफ.आई.आर की (संख्या)	निरस्त लाईसेन्सों की (संख्या)	प्रतिभूति जब्त (संख्या)	प्रतिभूति जब्त (राशि.रू)	विभागीय कार्यवाहियों की (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	दूध	479	409	0	0	0	0	0	42
9		देशी घी	767	456	0	0	0	0	0	14
10		पनीर	34	24	0	0	0	0	0	13
11		मावा	145	130	2	1	0	0	0	5
12		मसाले	1537	562	0	0	0	0	0	20
13		अन्य यथा आटा आईसकीम, चाय, लोकल टॉफिया, बिस्कुट, सुपारी, आचार, शीतलपेय पानी	2280	1415	22	5	2	342	1669	170
	योग		**5242**	**2996**	**24**	**6**	**2**	**342**	**1669**	**264**
14	स्वायत्त शासन विभाग के मामले	फूड लाइसेन्स के अन्तर्गत सामग्री की गुणवत्ता की जांच	2589	86	0	0	0	0	0	172
	योग		**2589**	**86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**172**
15	पशुपालन एवं डेयरी विभाग	संकलित किये जा रहे दूध की जांच, डेयरी के नाम/मॉनोग्राम से नकली घी, दूध आदि के बेचान के प्रकरण	31521	6088	3	0	0	0	0	37
			31521	**6088**	**3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**
	महायोग		**47108**	**11319**	**331**	**50**	**98**	**15150**	**604957**	**3301**

8. लेवी चीनी के आवंटन एवं उठाव की सूचना

(मात्रा मै. टन में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	49343	16843	**34.13**
2006-2007	34016	12237	**35.97**
2007-2008	88497	11575	**13.08**
2008-2009	99678	23457	**23.53**

अप्रेल, 2009 से दिसम्बर 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,09	7456.9	3616	48.49
मई, 09	7456.9	3928	52.68
जून, 09	7456.9	4653	62.40
जुलाई,0	7819.3	1414	18.08
अगस्त,09	7090.5	2432	34.30
सितम्बर,09	7459.3	1332	17.86
अक्टूबर,09	1005.3	2103	21.02
नवम्बर 09	1005.3	2545	25.44
दिसम्बर 09	7459.3	1012	13.57
योग	**72209.7**	**23035**	**31.90**

9. केरोसीन के आवंटन व उठाव की सूचना

(मात्रा के.एल. में)

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
2005-2006	512604	505201	**98.56**
2006-2007	515604	513164	**99.53**
2007-2008	515604	514126	**99.71**
2008-2009	512587	511610	**99.81**

अप्रेल, 2009 से दिसम्बर 2009 की अवधि में

वर्ष	आवंटन	उठाव	प्रतिशत
अप्रेल,09	42717	42679	99.91
मई, 09	42717	42680	99.91
जून, 09	42717	42703	99.97
जुलाई,0	42648	42626	99.95
अगस्त,09	42648	42624	99.94
सितम्बर,09	42648	42598	99.88
अक्टूबर,09	42648	42314	99.22
नवम्बर 09	42648	42620	99.93
दिसम्बर 09	42648	42640	99.98
योग	**384039**	**383484**	**99.86**

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत की गई कार्यवाही की सूचना

क्र. स.	वर्ष	माह में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
1	2005–06	341	90	172	51	98.51
2	2006–07	993	76	171	10	95.77
3	2007–08	571	24	188	44	84.01
4	2008–09	798	22	213	8	101.77

अप्रेल, 2009 से नवम्बर 2009 की अवधि में

क्र. स.	माह	माह में छापे मारे गये	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या	अदालत में चालान प्रस्तुत किये गये	न्यायालय द्वारा दंडित किये गये व्यक्तियों की संख्या	जब्त किये माल की अनुमानित राशि (लाखों में)
	अप्रेल,09	13	0	3	0	2.31
	मई, 09	10	0	4	0	8.29
	जून, 09	106	1	4	0	41.80
	जुलाई,0	176	4	18	0	8.66
	अगस्त,09	93	5	7	0	10.52
	सितम्बर,09	48	0	2	0	124.70
	अक्टूबर,09	22	1	3	0	16.73
	नवम्बर 09	22	7	1	0	4.47
	योग	**490**	**18**	**42**	**0**	**217.48**

विभाग द्वारा वर्ष में जारी किये गये महत्वपूर्ण आदेश व अधिसूचनायें

विभिन्न खाद्य वस्तुओं यथा चीनी एवं दालों के लिए राज्य सरकार द्वारा लाईसेंस व्यवस्था लागू कर स्टॉक सीमा तथा टर्न–ऑवर अवधि का प्रावधान लागू कर दिया है। चीनी के लिए यह व्यवस्था माह अप्रेल, 2009से तथा दालों के लिए माह अगस्त, 2009 से ये प्रावधान लागू किये गये है :–

1. चीनी :– चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने एवं जमाखोरी रोकने के लिए चीनी डीलर्स पर दिनांक 15.7.2009 से 30.9.2010 तक की अवधि के लिये लाईसेंस लागू कर दिया गया है। चीनी पर स्टॉक लिमिट एवं टर्न–ऑवर अवधि का भी नियंत्रण लागू कर दिया गया है, जो निम्नानुसार है :–

चीनी		
डीलर	स्टॉक सीमा	टर्न–ऑवर अवधि
खुदरा डीलर	25 क्विंटल	30 दिवस
थोक डीलर	2000 क्विंटल	30 दिवस

2. दालें :– दालों की कीमतों को नियंत्रित करने एवं जमाखोरी रोकने के लिए दालों के डीलर्स/मिलर्स पर दिनांक 12.8.2009 से 30.9.2010 तक की अवधि के लिये लाईसेंस लागू कर दिया गया है। दालों के लिये स्टॉक लिमिट एवं टर्न–ऑवर अवधि का भी नियंत्रण लागू कर दिया गया है, जो निम्नानुसार है :–

दालें		
डीलर	स्टॉक सीमा	टर्न–ऑवर अवधि
खुदरा डीलर	30 क्विंटल	30 दिवस
थोक डीलर	1000 क्विंटल	30 दिवस
साबुत दाल	30 दिन की उत्पादन क्षमता के बराबर	30 दिवस
दली हुई दाल	15 दिन की उत्पादन क्षमता के बराबर	30 दिवस

- राज्य सरकार द्वारा कल्याणकारी संस्थाओं एवं स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित छात्रावास के छात्र/छात्राओं हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त 42.50 मै.टन प्रतिमाह प्राप्त गेंहूँ का अवंटन माह अप्रेल 2009 से जून 2009 की अवधि के लिए दिनांक 07.07.2009 को जारी किया गया है।

- विभाग द्वारा दिनांक 07.07.09 को आदेश जारी कर जिला रसद अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनके क्षेत्राधिकार में निलम्बित प्राधिकार पत्रों के संबंध में निर्धारित समयावधि में प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु एक कार्य योजना बनाई जाकर सभी लम्बित प्रकरणों को 3 माह की अवधि में निस्तारित किया जावे।

- राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.7.09 को आदेश जारी कर जिले को आवंटित खाद्यान्नों की मात्रा का शत प्रतिशत उठाव करने व आवंटन प्राप्त होते ही समाचार पत्रों में विज्ञप्ति जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। आवंटन उठाव में किसी प्रकार की अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के लिये उस क्षेत्र के प्रर्वतन निरीक्षक एवं संबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये है। उचित मूल्य की दुकानों के बाहर जिला कलेक्टर एवं जिला रसद अधिकारी के कार्यालय के फोन नम्बर अंकित किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिससे कि उपभोक्ता आसानी से शिकायत कर सके।

- विभाग द्वारा आदेश दिनांक 8.7.2009 को समस्त जिला कलेक्टरों को उचित मूल्य की दुकानों को निर्धारित समय पर खोले जाने के निर्देश प्रदान किये गये है, जिसके कारण उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नही हो।

- विभाग द्वारा दिनांक 17.07.09 को आदेश जारी कर सभी उचित मूल्य की दुकानों के डीलर्स द्वारा आवंटित खाद्य वस्तुएं एवं केरोसीन का शत–प्रतिशत उठाव प्रत्येक माह की 15 तारीख तक आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जावेगा। खाद्य वस्तुएं एवं केरोसीन के शत्–प्रतिशत उठाव की सूचना संबंधित सतर्कता समिति एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित ग्राम के तीन सरकारी कार्मिक पटवारी, ग्रामसेवक एवं निकटवर्ती सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक तथा ग्राम पंचायत के सरपंच को दी

जावेगी तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित वार्ड पार्षद, वार्डन सिविल डिफेंस, सेनेट्री इन्सपेक्टर एवं निकटवर्ती सरकारी स्कूल के प्रधानाध्यापक/अध्यापिका को दी जावेगी। जिसमें से किन्हीं दो व्यक्तियों द्वारा उचित मूल्य की दुकानों पर उपलब्ध सामग्री का तत्काल भौतिक सत्यापन किया जावेगा और संबंधित डीलर द्वारा उक्त संबंध में रिपोर्ट संबंधित उपखण्ड/जिला मुख्यालय को प्रेषित की जावेगी।

- राज्य सरकार द्वारा खाद्य वस्तुओं का वितरण लोकप्रिय बनाये जाने की दृष्टि से प्रत्येक माह की 20 तारीख से लेकर माह के अन्तिम दिवस तक उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जायेगा, जिसमें उपभोक्ता प्रातः 9 बजे से लेकर रात्रि 7 बजे तक खाद्य सामग्री उचित मूल्य की दुकान से प्राप्त कर सकेगें, उचित मूल्य की दुकानों का इस अवधि के दौरान साप्ताहिक अवकाश नहीं रहेगा।

- राज्य सरकार की बजट घोषणा 2009–10 में मिलावट के विरूद्ध चलाये जा रहे "**शुद्ध के लिये युद्ध**" अभियान के तहत खाद्य पदार्थों में मिलावट को गम्भीर समस्या मानते हुए प्रत्येक जिले में मौके पर मिलावट की जांच किये जाने हेतु चल प्रयोगशाला की व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए आदेश दिनांक 17.2.2010 जारी कर दिये गये है।

वर्ष 2007–08 व 2008–09 के वास्तविक आय–व्यय एवं वर्ष 2009–10 के मूल बजट प्रावधानों का विवरणः–

बजट शीर्ष / उपशीर्ष	वास्तविक लेखे 2007–08	वास्तविक लेखे 2008–09	मूल प्रावधान 2008–09	संशोधित प्रावधान 2008–09	मूल प्रावधान 2009–10
व्यय मद (मांग संख्या 32) 3456–नागरिक आपूर्ति, 001–निदेशक और प्रशासन (01)–खाद्य आयुक्त के माध्यम द्वारा					
[01]–मुख्यालय कर्मचारी वर्ग (आयो. भिन्न)	201.95	268.36	228.80	287.19	350.33
[02]–जिला कर्मचारी वर्ग (आयो.भिन्न) प्रदत्त्मत	1114.26	1416.17	1489.34	1689.20	2035.78
प्रभृत	3.10	0.13	0.01	0.13	0.01
196–(01)–(01)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[03]–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आयो. भिन्न)	593.01	788.03	745.00	809.90	1005.60
[03]–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ (आयोजना)	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
[03]–उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ(के.प्र.यो.)	175.29	32.24	45.00	45.00	0.00
[04] उपभोक्ता मामले निदेशालय (आ. भि.)	2.38	6.21	6.91	6.97	8.92
कुल योग दत्त्मत योगः– "ए" प्रभृत योगः– "बी"	2091.27 3.10	2511.01 0.13	2515.05 0.01	2838.26 0.13	3400.63 0.01
3456–नागरिक आपूर्ति, 102–सिविल पूर्ति योजना (01)–खाद्यान्न संभरण योजना (अन्त्योदय योजना) (02)–वितरण (आयो.भिन्न)	1486.67	1488.40	1500.02	1500.00	1500.00
(के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[04] अन्नपूर्णा योजना (आयोजना)	560.93	564.42	700.00	618.00	700.00
अन्नपूर्णा योजना (के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[05] खाद्यान्न बैंक की स्थापना (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[06] सहरिया परिवारों के लाभार्थ हेतु (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[07] राशन टिकिट योजना (आयोजना)	43.18	49.85	50.00	50.00	50.00
3456–102–789 (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3456–102–896 (आयोजना)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योगः– "सी"	**2098.78**	**2102.67**	**2250.02**	**2168.00**	**2250.00**
महायोग :– ("ए + बी + सी")	**4185.15**	**4613.81**	**4765.08**	**5006.39**	**5650.64**

बजट शीर्ष / उपशीर्ष	वास्तविक लेखे 2007–08	वास्तविक लेखे 2008–09	मूल प्रावधान 2008–09	संशोधित प्रावधान 2008–09	मूल प्रावधान 2009–10
मांग संख्या–32 5475–अन्य सामान आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 102–सिविल आपूर्ति 09–उपभोक्ता संरक्षण के राज्य आयोग एवं जिला मंचों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण 17–वृहद निर्माण कार्य (आयोजना)	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00
वृहद निर्माण कार्य (के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72–आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण (क.प्र.यो.)	94.02	33.62	218.38	66.08	0.00
आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं नवीनीकरण (के.प्र.यो.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग (पूंजीगत परिव्यय)	**111.82**	**33.62**	**218.38**	**66.08**	**0.00**

वर्ष 2007–08 एवं 2008–09 के वास्तविक आय–व्यय एवं 2009–10 के मूल प्रावधानः–

राजस्व मद / उपमद	वास्तविक लेखे 2007–08	वास्तविक लेखे 2008–09	मूल प्रावधान 2008–09	संशोधित प्रावधान 2008–09	मूल प्रावधान 2009–10
1475–अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियां 800–अन्य प्राप्तियां 04–अन्य विविध प्राप्तियां (01) खाद्य विभाग के माध्यम से	152.68	290.29	75.06	84.75	86.44
05–परिवहन समानीकरण से प्राप्तियां	465.13	436.14	272.52	472.80	488.35
06–अन्तर राशि से प्राप्तियां					
01–खाद्यान्न से	3.56	4 .23	8.49	10.82	13.45
02–केरोसीन से	0.00	0.08	0.25	0.26	0.26
07–उपभोक्ता संरक्षण के जिला मंचों में परिवाद दायर करने हेतु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योगः–	**621.37**	**686.63**	**356.32**	**568.63**	**588.50**

सार्वजनिक वितरण प्रणाली एक दृष्टि में

तहसीलों की संख्या	241
पंचायत समितियों की संख्या	237
पंचायतो की संख्या	9188

राज्य की जनसंख्या (लाखों में)

शहरी	129.19
ग्रामीण	435.54
योग	564.73

उचित मूल्य दुकानों की संख्या

	सहकारी	निजी	योग
शहरी	582	4716	5298
ग्रामीण	3048	14645	17693
योग	3630	19361	22991

राशन कार्डों की संख्या (लाखों में)

शहरी	40.50
ग्रामीण	107.50
योग	148.00

राशन यूनिट्स (लाखों में)

शहरी	165.74
ग्रामीण	502.90
योग	668.64

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित सामग्री की मात्रा एवं दर

योजना	नाम सामग्री	मूल्य (रूपये प्रति किग्रा.)	मात्रा (प्रति माह)
बीपीएल	गेहूँ	4.70	35 किलो प्रति परिवार
	चावल	6.30	
एपीएल	गेहूँ	6.80	10 किलो प्रति परिवार
	चावल	9.00	
अन्त्योदय अन्न योजना	गेहूँ	2.00	35 किलो प्रति परिवार
	चावल	3.00	
बीपीएल	चीनी	13.50	500 ग्राम प्रति यूनिट
बीपीएल /एपीएल	केरोसीन	10.00	2–5 लीटर प्रति राशन कार्ड
अन्नपूर्णा	गेहूँ/ चावल	निःशुल्क	10 किलो प्रति परिवार (प्रति राशन कार्ड

खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रशासनिक संरचना

राज्य स्तर

मंत्री, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग

प्रमुख शासन सचिव एवं पदेन आयुक्त

(1)

अतिरिक्त खाद्य आयुक्त एवं पदेन निदेशक, उपभोक्ता मामले

(1)

उपायुक्त एवं पदेन उप शासन सचिव	सहायक आयुक्त	सहायक निदेशक (सांख्यिकी)	स.विधि परामर्शी	वित्तीय सलाहकार
(2)	(1)	(1)	(1)	(1)

सूचना एवं जन संपर्क अधिकारी	जि.र.अ. (सतर्कता)	सहायक लेखाधिकारी
(1)	(1)	(1)
कार्यालय अधीक्षक	प्रवर्तन अधिकारी	प्रवर्तन निरीक्षक
(1)	(2)	(2)

संभाग स्तर

संभागीय आयुक्त (मुख्यालय)

(7)

जिला स्तर

जिला कलक्टर रसद (33)

जिला रसद अधिकारी (34)

अतिरिक्त जिला रसद अधिकारी (2)

प्रवर्तन अधिकारी (104)

प्रवर्तन निरीक्षक (253)

- बीपीएल, अन्त्योदय एवं असहाय परिवारों को खाद्य सुरक्षा
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन एवं क्रियान्वयन
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्नों की खरीद
- आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 का क्रियान्वयन
- उपभोक्ता संरक्षण हेतु प्रभावी प्रयास

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय, जयपुर